



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



19 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 25 राँची, मंगलवार,

9 जनवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

7 नवम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-143/2018-24892 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री लियाकत अली, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-796/03), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रामगढ़ के विरुद्ध मौजा जोड़ाकरम, खाता सं० 126, प्लॉट न० 2677 कुल रकबा 1.92 एकड़ भूमि से संबंधित पंचाट संख्या-02 अन्तर्गत मुआवजा भुगतान में अनियमितता बरतने, पंचाट सं०-2 में शामिल अधिग्रहित रैयतों के अलावे एक अन्य रैयत राजू हेम्ब्रोम पिता शिकारी माँझी का नाम शामिल करते हुए मुआवजा भुगतान करने एवं परियोजना (प्रोजेक्ट-एन०एच० 33 के चौड़ीकरण) से संबंधित मुआवजा भुगतान पाने वाले रैयत एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों का विधिवत् जाँच नहीं करने संबंधी आरोप, जैसा कि राजस्व, निबंधन भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4720 दिनांक-29.11.2018 के माध्यम से उपायुक्त रामगढ़ के पत्रांक-334 दिनांक-11.10.2018 द्वारा गठित आरोप-पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्री अली के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र को अनुमोदित करते हुए आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री अली को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री अली द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री अली के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री लियाकत अली, झा०प्र०से० एवं श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	LIYAKAT ALI BHR/BAS/3662	श्री लियाकत अली, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-796/03), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रामगढ़ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
